# न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

(15)

## समक्षः– श्री एस0 एस0 अली
## सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 4186–दो / 12 के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 16–04–2012 के द्वारा न्यायालय तहसीलदार तहसील अनूपपुर जिला अनूपपुर के प्रकरण कमांक 66 / अ–12 / 2011–12.

.......

1–श्रीमती ललिता पटेल पत्नी स्व0 श्री रामसुमिरन पटेल
निवासी ग्राम सामतपुर तहसील अनूपपुर
जिला अनूपपुर म0प्र0

––– आवेदक

**विरूद्ध**

1–श्रीमती रीता बेवा बंधु राठौर
2–सत्यनारायण राठौर तनय बन्धु राठौर
3–मिमसोनिया पत्नी बोल्ला राठौर
4–बाबूलाल राठौर तनय श्री बोल्ला राठौर
5–धनपत राठौर तनय श्री बोल्ला राठौर
6–ग्याराम राठौर तनय बोल्ला राठौर
7–सियाराम राठौर तनय श्री बोल्ला राठौर
8–मूलचन्द्र राठौर तनय बोल्ला राठौर
9–सुन्दर राठौर तनय श्री दुलीचन्द्र राठौर
10–सत्यनारायण तनय श्री दुलीचन्द्र राठौर
निवासीगण ग्राम सामतपुर तहसील अनूपपुर
जिला अनूपपुर म0प्र0

–––अनावेदकगण

...............

श्री आर0 डी0 शर्मा, अभिभाषक, आवेदक
श्री दिवाकर दीक्षित, अभिभाषक, अनावेदकगण

...............

//2//प्रकरण क्रमांक निगरानी 4186–दो/12

**आदेश**

(आज दिनांक 1 – 6 – 18 को पारित )

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी तहसीलदार तहसील अनूपपुर जिला अनूपपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 16–04–2012 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 (संक्षेप में आगे जिसे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है ।

2– प्रकरण का साराश संक्षेप में इस प्रकार है कि सत्यनारायण पिता दुलीचन्द्र राठौर निवासी सामतपुर की आराजी खसरा नम्बर 59/3 रकवा 0237 है0 का नक्शा तरमीम किये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया, जो दिनांक 16.4.12 को तहसीलदार द्वारा नक्शा तरमीम स्वीकार किया जिससे दुखित होकर यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3– आवेदक अधिवक्ता का तर्क है कि ग्राम सामतपुर 975 पटवारी हल्का अनूपपुर कमांक 26 राजस्व निरीक्षक मण्डल अनूपपुर तहसील व जिला अनूपपुर म0प्र0 के आराजी खसरा नं0 60/2 रकवा 10.00 एकड को जरिये बेची 5000.00 रूप्ये दिनांक 22.9.79 को प्रदीप, दिलीप पिता रामनारायण जायसवाल निवासी सामतपुर तहसील सोहागपुर जिला शहडोल (वर्तमान में अनूपपूर) को पूरा प्रतिफल अदा करके निगरानीकर्ता ने कय किया हे कय करनेके बाद से उक्त आराजी में काविज दखील होकर कास्तकार रहे है तथा आराजी में उनका स्वत्व व आधिपत्य है तथा इसी भूमि का डायवर्सन भी निगरानीकर्ता के नाम स्वीकार दिया गया था तथा उक्त आराजी के अंश रकवा 0.05 एकड़ में आवादी निस्तार भी आवेदक का हैं आराजी खसरा नं0 60/2 का अंश रकवा 9.64 एकड़ भूमि म0 प्र0 शासन संयुक्त जिला कार्यालय हेतु अधिग्रहण कर लिया गया है। आराजी खसरा नम्बर 60/2/क रकवा 0.36 एकड़ आवेदक के नाम अभी भी भूमि स्वामित्व कब्जे दखल में बची है इसी भूमि से लगी भूमि अनावेदकगण की आराजी कमांक 59/1 रकवा 0.263 है0 59/2 रकवा 0.263 है0 59/3 रकवा 0.267 है0 के भूमिस्वामी अनावेदकगण है जिसका अधीनस्थ न्यायालय ने अन्तर्गत धारा 129 के तहत सीमांकन व नक्शा तरमीम की कार्यवाही दिनांक 6.3.12 को किया गया तथा तहसीलदार

अनूपपुर द्वारा पटवारी प्रतिवेदन फीड वुक व पंचनामा व अन्य अभिलेखों के आधार पर प्रकरण कमांक 66/अ–12/2011–12 आदेश दिनांक 16.4.12 को पुष्टि विधि विरूद्व कर दी गई है। आवेदक अधिवक्ता का तर्क है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अनावेदकगण के स्वत्व व आधिपत्य की भूमि नं0 59/1 रकवा 0.263 है0 59/2 रकवा 0.263 है0 व 59/3 रकवा 0.267 है0 के भूमिस्वामी अनावेदकगण है तथा उनके द्वारा पहले सीमांकन की कार्यवाही दिनांक 6.3.12 व उसके साथ ही उपरोक्त आवेदित भूमियों का नक्शा तरमीम की कार्यवाही एक पक्षीय रूप से कराई गई जिसकी कतई कोई जानकारी आवेदकिा को नहीं हुई अगर आवेदित भूमियों के सीमांकन के समक्ष निगरानीकर्ता को जानकारी होती तो वह निशिचत रूप से अपना प्रतिरक्षण मौके में उपस्थित होकर करती जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आलोच्य आदेश पारित करने में महान भूल की गई है। अंत में उनके द्वारा अनुरोध किया गया है कि आवेदक की निगरानी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त किया जावे।

4–अनावेदक के अधिवक्ता का तर्क है कि अनावेदकगण द्वारा कराये गये सीमांकन एवं नक्शा तरमीम की सूचना आवेदक को दी गई थी लेकिन वह उपस्थित नहीं हुये इसलिये उनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही की गई थी। अनावेदकगण द्वारा कराया गया सीमांकन सही एवं विधि के अनुसार किया गया है इसमें किसी प्रकार की त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है। अतः आवेदक की निगरानी निरस्त करने का अनुरोध किया गया है।

5– उभयपक्ष के अधिवक्तागण के तर्क सुने। अतः आवेदक के अधिवक्ता द्वारा अवधि विधान की धारा 5 के आवेदन के परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत तर्क समाधन कारक प्रतीत होते है। प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों एवं अभिलेखों का अध्ययन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख से से प्रतीत होता है कि सत्यनारायण पिता दुलीचन्द्र राठौर निवासी सामतपुर की आराजी खसरा नम्बर 59/3 रकवा 0237 है0 का नक्शा तरमीम किये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया, जो दिनांक 16.4.12 को तहसीलदार द्वारा नक्शा तरमीम स्वीकार किया लेकिन तहसीलदार तहसील अनूपपुर के प्रकरण कमांक 66/अ712/2011–12 में पृष्ठ 11 पर संलग्न सूचना पत्र का अवलोकन किया गया जिसमें 30.3.12 को सूचना जारी की गई है तथा दिनांक 6.3.12 को नक्शा तरमीम होना था लेकिन आवेदिका ललिता पटेल को सूचना नहीं है। इसी प्रकार

प्रकरण में संलग्न पृष्ठ 15 पर मौके का पंचनामा पर भी ललिता पटेल के हस्ताक्षर नहीं है इससे स्पष्ट है कि उनको बिना सूचना व सुनवाई का अवसर दिये ही उनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवही की गई है। इससे यह तो स्पष्ट है कि मौके पंचनामा पर भी आवेदिका के हस्ताक्षर नहीं है। इससे स्पष्ट है कि उन्हें सूचना एवं सुनवाई के अवसर दिये ही तहसीलदार अनूपपुर द्वारा नक्शा तरमीम एवं सीमांकन का आदेश पारित किया गया है जो त्रुटिपूर्ण है।

6– उपरोक्त विवेचना के आधार तहसीलदार तहसील अनूपपुर जिला अनूपपुर द्वारा प्रकरण कमांक 66/अ–12/2011–12 में पारित आदेश दिनांक 16.4.12 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण तहसीलदार अनूपपुर को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि सरहद्दी कास्तकारों को सूचना एवं सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुये नक्शा तरमीम एवं सीमांकन की कार्यवाही उभयपक्षों के समक्ष की जावे। आवेदिका द्वारा प्रस्तुत निगरानी आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है।

(एस0 एस0 अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश
ग्वालियर